पत्रांक 4777 /आयु0रा0क0उत्तरा0 / रा0क0 / विधि–अनु0 / मुख्यालय / 2017–18 / दे0दून।

कार्यालयः–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड,
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः:दिनांक::: 06 जनवरी, 2018

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
राज्य कर, उत्तराखण्ड।

मुख्यालय के पत्रांक 4705 दिनांक 02 जनवरी, 2018 के माध्यम से शासन के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **1000** / 2017 / 146(120) / XXVII(8) / 2008 दिनांक 29.12.2017 एवं **1001** / 2017 / 146(120) / XXVII(8) / 2008 दिनांक 29.12.2017 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित किए गये फार्म–डी के रख रखाव एवं प्रयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

निर्धारित की गई प्रक्रिया के संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा फार्म–डी की मूल / द्वितीय प्रति प्रमाणीकृत करने के समय BBUK 2012 सीरीज के टिकट विनिर्माता व्यापारी द्वारा प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किए गये फार्म–डी पर चस्पा करवाते हुए नाम / पदनाम की मोहर सहित दिनांकित पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएंगे। BBUK 2012 सीरीज के टिकट दो प्रतियों (जिसमें एक कार्यालय प्रति होगी) में होंगे, जिसमें से एक प्रति फार्म–डी की द्वितीय प्रति पर तथा कार्यालय प्रति फार्म–डी की मूल प्रति पर चस्पा करवाते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त टिकट की प्रतियों पर दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए नाम / पदनाम की मोहर लगायी जायेगी।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म–डी के प्रतिपर्ण पर BBUK 2012 सीरीज के टिकट का कमांक स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए उस पर भी नाम / पदनाम की मोहर सहित दिनांकित पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस संबंध में यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्येक कर निर्धारण कार्यालय इस प्रकार चस्पा किए गये BBUK 2012 सीरीज के टिकट का व्यापारीवार विवरण इस हेतु बनाए गये रजिस्टर में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। पत्रांक 4705 दिनांक 02 जनवरी, 2018 के द्वारा निर्धारित शेष समस्त प्रक्रिया यथावत रहेगी।

उपरोक्त कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित BBUK 2012 सीरीज के टिकट मुख्यालय के फार्म–अनुभाग से यथाशीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ–साथ सम्भाग में अवस्थित समस्त व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों को भी उपर्युक्त विषय में अवगत कराते हुए इस पत्र की प्रति फार्म–डी का प्रयोग करने वाली समस्त औद्योगिक इकाईयों को भी उपलब्ध करा दें।

(सौजन्या)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0: 4777 व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– समस्त एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर, उत्तराखण्ड।
2– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / रूद्रपुर / हल्द्वानी।
3– श्रीमती नीलम ध्यानी, डिप्टी कमिश्नर, एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
4– विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।